समाहरणालय, साहेबगंज।

(जिला भू–अर्जन शाखा)

– :: आम सूचना :: –

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि The Right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 के अन्तर्गत अडॉनी पॉवर (झारखण्ड) लिमिटेड, गोड्डा के 2X800 मेगावाट तापीय विधुत परियोजना अन्तर्गत जलाशय निर्माण हेतु जिला–साहेबगंज, अंचल–साहेबगंज के ग्राम–हाजीपूर भीट्ठा में रैयती भूमि अधिग्रहण की जानी है। जिसका प्रस्तावित रकवा–102.82 एकड़ है। उक्त रैयती भूमि अधिग्रहण के लिए धारा–04 के अन्तर्गत सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन का कार्य AMCS, Ranchi के द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है।

उपरोक्त अधिनियम के धारा–05 अन्तर्गत सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन के प्रतिवेदन पर लोक सुनवाई किया जाना है। दिनांक–28/05/2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में निम्नलिखित स्थान/विवरण के अनुसार लोक सुनवाई निर्धारित की जाती है :–

क्र0	अंचल	संबंधित ग्राम का नाम	लोक सुनवाई हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	लोक सुनवाई का स्थल
1.	साहेबगंज	हाजीपूर भीट्ठा	1. अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज। 2. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज। 3. अंचल अधिकारी, साहेबगंज।	डिहारी काली स्थान

प्रभावित संबंधित ग्राम के अन्तर्गत परियोजना से प्रभावित होने वाले रैयतों एवं उनके परिवारजनों से अनुरोध है कि उक्त लोक सुनवाई में उपस्थित होकर सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन के संबंध में अपना–अपना विचार रखने का कष्ट करेंगे।

ह0/-
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक....................../भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक........................

प्रतिलिपि–प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायत के प्रतिनिधिगण को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक....................../भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक........................

प्रतिलिपि–प्रशासक–सह–अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। आम सूचना को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे।

प्रतिलिपि–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज/अंचल अधिकारी, साहेबगंज/संबंधित क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि लोक सुनवाई में ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 280 / भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक 14.5.18

प्रतिलिपि–जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि आम सूचना को दो स्थानीय भाषा के क्षेत्रीय संस्करण के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रकाशित समाचार पत्रों के प्रेस कतरन को जिला भू–अर्जन कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को साहेबगंज जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि–प्रखंड विकास पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रतिनिधिगण को आम सूचना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे एवं तामिला प्रति जिला भू–अर्जन कार्यालय, साहेबगंज को उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि–अंचल अधिकारी, साहेबगंज को निदेश दिया जाता है कि लोक सुनवाई से संबंधित आम सूचना को सूचना–पट पर प्रदर्शित करते हुए प्रचार–प्रसार कर प्रभावित क्षेत्रों में करवाना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 280 / भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक 14.5.18

प्रतिलिपि–आरक्षी अधीक्षक, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि लोक सूनवाई हेतु विधि–व्यवस्था संधारण के लिए प्रर्याप्त बल प्रतिनियुक्त करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि–अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज लोक सुनवाई हेतु विधि–व्यवस्था संधारित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। आम सूचना को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे।

14/5/18
उपायुक्त,
साहेबगंज।